आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
18//04/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 71/2012** **बोदो पाहन बनाम् शांति देवी (प्रतिस्थापित) एवं अन्य** प्रश्नगत् पुनरीक्षण वाद अपर समाहर्त्ता, राँची द्वारा अपील वाद संख्या–18-R15/2008-09 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वर्ष–2016 में मूल विपक्षी शंकर राम के मृत्यु के पश्चात् उनके वारिस शांति देवी व अन्य पुत्रों को प्रतिस्थापित किया गया था। दिनांक–09.05.2017 से ही इस वाद में आवेदक लगातार अनुपस्थित है। प्रतिवादी कुछ तिथियों पर उपस्थित रहे तथा उनके द्वारा समय की मांग की गयी। इस वाद में दिनांक–17.01.2022 को अंतिम मौका दिया गया था, किन्तु कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं हुये। पुनः दिनांक–21.03.2022 को कोई भी पक्षकार न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ तथा दिनांक–07.04.2022 को एक अंतिम मौका दिया गया। उक्त तिथि को भी पक्षकार अनुपस्थित रहे। अंततः उपलब्ध कागजातों के आधार पर आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया। प्रश्नगत् वाद में मूलतः एस0 ए0 आर0 वाद संख्या–254/2007–08 में विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा मौजा–सामलौंग, खाता नम्बर–172, प्लॉट–1233, रकबा–2 कट्ठा की वापसी हेतु आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपर समाहर्त्ता के न्यायालय द्वारा प्रश्नगत् प्लॉट को आने–जाने का रास्ता होने के आधार पर निम्न न्यायालय के भूमि वापसी के आदेश को निरस्त कर दिया गया। यह विषय मुख्यतः भूमि वापसी का नहीं होकर खतियानी रैयती भूमि से आवाजाही हेतु मार्ग उपलब्ध कराने से संबंधित है। अपीलीय न्यायालय द्वारा अंचल अधिकारी, शहर से नापी प्रतिवेदन एवं नक्शा भी प्राप्त किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है। इस विवाद के मूल में विपक्षियों के द्वारा प्लॉट–1232 का क्रय गलत तथ्यों के आधार पर किये जाने का विषय सन्निहित है। बिना रास्ते की जाँच किये विपक्षियों के द्वारा प्लॉट–1232 को क्रय कर लिया गया, जबकि मुख्य रास्ता एवं प्लॉट नम्बर–1232 के बीच प्लॉट नम्बर–1233 अवस्थित है। ऐसे स्थिति में रैयती प्लॉट–1233 के सहमति के बगैर विपक्षियों के द्वारा प्लॉट–1232 में अवस्थित अपने	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

मकान हेतु रास्ता की मांग की गयी है तथा वहां गेट लगाकर उसे बंद करने का प्रयास किया गया, जिस कारण आदिवासी रैयती भूमि पर अवैध दखल का मामला आवेदकों के द्वारा दायर किया गया। विशेष विनियमन पदाधिकारी के समक्ष विपक्षियों के द्वारा यह कहा गया कि उन्हें प्लॉट नम्बर–1233 से कोई लेना–देना नहीं है, जिस कारण उक्त भूमि को खतियानी रैयत को वापस करने हेतु आदेश पारित किया गया। इस न्यायालय में विपक्षियों के द्वारा इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया कि उनके प्लॉट तक जाने हेतु यह एकमात्र रास्ता है। अपीलीय न्यायालय द्वारा विपक्षियों के निबंधित केवाला में उल्लेखित नक्शा जिसमें प्लॉट–1233 पर 15 फीट चौड़ा रास्ता दर्शाने का उल्लेख किया गया है, के आधार पर आदेश पारित किया गया। विचारणीय है कि किसी अन्य व्यक्ति के रैयती जमीन पर रास्ता दिखाकर निबंधित केवाला तैयार करने से उक्त भूमि को रास्ता घोषित नहीं किया जा सकता। नगर निगम अथवा राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के द्वारा ही विभिन्न आवासीय इलाकों में रास्तों की योजना निर्धारित की जाती है। प्रश्नगत् मामले में किसी अन्य रैयती भूमि को प्लॉट पर जाने का रास्ता दिखाकर उसे गेट लगाकर कब्जा करने का प्रयास किया गया है। स्पष्टतः आदिवासी रैयती भूमि पर इस प्रकार से दखल किया जाना कास्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। अतः प्रश्नगत् मामले में भूमि वापसी का आदेश पूर्णतः उचित है।

उभय पक्ष रास्ता दिये जाने के बिन्दु पर आपसी सहमति से निर्णय ले सकते है, किन्तु आदिवासी खतियानी भूमि को स्वतः रास्ता घोषित कर उस पर दखल किया जाना पूर्णतः अनुचित है। वर्णित तथ्यों के आलोक में यह निदेशित किया जाता है कि उभय–पक्ष आपसी सहमति से रास्ते के बिन्दु पर अंतिम निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है, किन्तु अवैध तरीके से आदिवासी रैयती भूमि पर कब्जा नहीं किया जाये। तद्नुसार इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.22 16:50:52 +05:30
Location: 192.168.1.40

लेखापित एवं संशोधित

18/4/22
प्रमण्डलीय आयुक्त

18/4/22
प्रमण्डलीय आयुक्त